<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
युवराज मेहता 79–सी महावीर नगर, पाली (राज.)
बनाम
लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
प्रथम सूचना अपील संख्या :– 86/2020
जीसीएमएस नं. :– 2020/00295
(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>25.02.2022</td><td>–: निर्णय :–

1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 28.9.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से चाही गई थी। परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली ने जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./319/2020/1495 दिनांक 20.9.2021 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि बिन्दु संख्या 2 से संबंधित सूचना अपीलार्थी को निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्राप्त करने हेतु लिखा गया था। तथा अन्य सूचना अपीलार्थी को जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./295/2020/1761 दिनांक 28.11.2020 के सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। तथा राजस्व एवं सामान्य शाखा से सूचना उपलब्ध कराई जाने पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित करना जरिये पत्रांक/1495 दिनांक 20.9.2021 के अवगत कराते हुए अपील अपीलार्थी खारिज कराने हेतु निवेदन किया है।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/ जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है। तथा वह रेस्पोडेंट के जवाब से संतुष्ट है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 25.02.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

नमित मेहता
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली</td><td></td></tr>
</table>